कार्यालय नगर निगम, जयपुर

(पं. दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड, जयपुर – 15)

क्रमांक : एफ 7 ( ) आ. सत (सा. प्र)/न. नि. ज. / 14 / 551 दिनांक : 23-5-2014

सूचना

जयपुर नगर निगम के सतर्कता शाखा स्टोर में उपलब्ध निम्नांकित सामान जहाँ हैं, जैसे हैं के आधार पर सामान के सामने अंकित दिनांक को जनता मार्केट, गोविन्द देवजी मन्दिर के पीछे एवं स्वेज फार्म गोदाम, न्यू सांगानेर रोड़ जयपुर में नीलाम किया जायेगा :–

क्र. सं.	सामान का नाम	नीलामी तिथि	समय (प्रातः)
1	जनता बाजार गोदाम में रखे जब्त सामान – साईकिलें, लोहा परात व घमले, स्टील टंकी, सिल्वर भगौना, हैलमेट, नालीदार चददर आदि।	09.06.2014	11 बजे
2	स्वेज फार्म गोदाम मे रखे जब्त सामान – खुले छत वाले एवं बंद वाले ठेले, थड़ी, काउन्टर, रिक्शा, पीवीसी ड्रम, पीवीसी कैरेट, कुर्सी, लोहा बोर्ड आदि।	11.06.2014	11 बजे

1. नीलामी योग्य सामान की विस्तृत सूची सतर्कता शाखा स्टोर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं तथा सूची एवं नीलामी की शर्ते विभागीय पोर्टल **http://sppp.raj.nic.in & www.jaipurmc.org.com** पर भी देखी जा सकती हैं।
2. नीलामी में भाग लेने से पूर्व निर्धारित राशि जो मौके पर बताई जावेगी वह अमानता के रूप मे जमा कराना आवश्यक होगा। अमानता राशि के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
3. उच्चतम बोलीदाता को सम्पूर्ण राशि मौके पर ही जमा करानी होगी अन्यथा अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी। कोई राजकीय कर नियमानुसार देय हैं तो वह अतिरिक्त जमा कराना होगा।
4. बोली छोड़ने व बोलीदाता द्वारा राशि जमा कराने के पश्चात ही प्रथम/द्वितीय / तृतीय बोलीदाताओं की अमानता राशि दी जायेगी। नीलाम किए गये सामान की सुरक्षा का दायित्व सम्बन्धित व्यक्ति का होगा।
5. यदि प्रथम उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो, द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता हैं। यदि नीलामी कमेटी उचित समझती हैं तो ही द्वितीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकता हैं, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो उसकी अमानता राशि जब्त कर ली जावेगी ।
6. यदि प्रथम व द्वितीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देते हैं तो, तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल देने पर विचार किया जा सकता हैं। यदि नीलामी कमेटी उचित समझती है तो ही तृतीय उच्चतम बोलीदाता को माल दिया जा सकेगा। यदि तृतीय उच्चतम बोलीदाता माल लेने से इंकार कर देता हैं तो उसकी भी अमानता राशि जब्त कर ली जायेगी तथा सामान की पुनः नीलामी की जायेगी।
7. प्रथम/द्वितीय/तृतीय उच्चतम बोलीदाता से प्राप्त बोली के आधार पर माल देने हेतु निगम बाध्य नही होगा, जब तक की कमेटी प्राप्त दरों को उचित नहीं समझती हैं। किसी भी बोली को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार नीलामी कमेटी को होगा।

आयुक्त (सतर्कता)
नगर निगम जयपुर